



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1152

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3965 वर्ष 2025

संजय कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुराग यादव, राय साहब यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी-प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम पंचायत दुगुना, डाकघर कटरा बाजार, ब्लॉक डीघ, जनपद-भदोही स्थित गाटा संख्या 1003, क्षेत्रफल 0.416 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को यथाशीघ्र, अधिमानतः निर्धारित अवधि के भीतर, हटाएं।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी-प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे निजी प्रतिवादी संख्या 6 के अवैध अतिक्रमण को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः निर्धारित अवधि के भीतर, हटाएं।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 1003, क्षेत्रफल 0.416 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है तथा निजी प्रतिवादी संख्या 6 उस पर अवैध कब्जे में है; अतः विवादित भूखण्ड से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।

4. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार ने उपजिलाधिकारी, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा प्रेषित दिनांक 5.1.2026 की निर्देश-पत्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 5.1.2026 की निर्देश-पत्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो उक्त भूमि पर कब्जे में पाए गए हैं, जिनमें प्रतिवादी संख्या 6/ हरि शंकर यादव भी सम्मिलित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, तीन प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :-

“i. टी202516670421063, रिपोर्ट लेखपाल बनाम हरि शंकर यादव।

ii. टी202516670421064, रिपोर्ट लेखपाल बनाम तेज बहादुर यादव।

iii. टी202516670421065, रिपोर्ट लेखपाल बनाम सत्य नारायण यादव।”

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त कार्यवाहियों में अगली तिथि 16.1.2026 नियत है; अतः उपर्युक्त प्रकरणों के निस्तारण के उपरांत प्राधिकारी विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करेंगे।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त कार्यवाहियों के विधि के अनुसार शीघ्र निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/ तहसीलदार, तहसील-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त तीनों प्रकरणों का पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।